



KARFOA

KRISHNA APARTMENT RESIDENTIAL FLAT OWNER'S ASSOCIATION

Krishna Apartment, Boring Road, Patna - 800 013

Ref.:

Date.....

नगर आयुक्त महोदय,
नगर आयुक्त कार्यालय
प्रतिलिपि - (निगरानी पदाधिकारी)

11 MAY 2018
पटना नगर निगम,

मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स,

पटना.

विषय - कृष्णा अपार्टमेंट में भूतल पर दो पार्किंग स्पेश को घेर कर केक व मिठाई बनाने के कारखाने को, आपके स्पष्ट आदेश के वावजूद बंद नहीं करने के सम्बन्ध में।

Req Case No -01/18 Misc

महोदय,

उपरोक्त केस की सुनवाई विगत दो माह से किन्ही कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी तथा आपके आदेश संख्या 188 दिनांक 7/1/17 जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की जा रही है जिससे आपार्टमेंट में रहने वाले सभी अधिवासियों को काफी परेशानी हो रही है।

अतः आपसे सदर विनम्र अनुरोध है की प्राथमिकता के आधार पर केस की सुनवाई शीघ्र ही करने की कृपा करें। अगली तिथि कृपया 12/5/18 को विशेष परिस्थिति को देखकर रखी जाय इसके लिए एसोशिएशन के सभी अधिवासी आपका आभार मानेंगे।

धन्यवाद

आपका विनम्र विनोद

विनोद कुमार खटोड़

अध्यक्ष

98350-25088

प्रतिलिपि - निगरानी पदाधिकारी, पटना नगर निगम

502/18
11/05/18

प्रतिलिपि के लिए प्रामाण्य के तारीख	प्रतिलिपि के लिए सशर्त जमा करने की तारीख	तारीख जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार था	आवेदक को प्रतिलिपि प्राप्त की तारीख
11.1.17	12.1.17	12.1.17	12.1.17

Recd on
25/1/17
by Binod



पटना नगर निगम

जीवनीलोक कॉम्प्लेक्स, पटना।

पत्रांक 183



प्रेमक,

सेवा में,

निगरानी पदाधिकारी
पटना नगर निगम, पटना।

श्री बिनोद सिंह
कृष्णा अपार्टमेंट रेसिडेन्सियल
ए0 एन0 कॉलेज, बोरिंग रोड,
पटना।

विषय-

रखानी-श्री बिनोद सिंह, कृष्णा अपार्टमेंट रेसिडेन्सियल, ए0 एन0 कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना के द्वारा गैरेज/पार्किंग स्पेस को मिलाकर मिठाई, केक बनाने से सम्बंधित फिनिशिंग एवं पैकिंग कार्य करने के संबंध में।

पटना, दिनांक-07/01/2017

प्राप्त,

उपरोक्त विषयक अभियंता शाखा के जॉब प्लान, नूतन राजधानी उ0 प्रमंडल से प्राप्त अतिवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा गैरेज/पार्किंग स्पेस को मिलाकर मिठाई, केक बनाने से सम्बंधित फिनिशिंग एवं पैकिंग का कार्य किया जा रहा है जो बिहार नगरपालिका अभिनियम 2007 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके द्वारा बाहर एक बेसिन लगाकर जलजमाव किंगे जाने के कारण स्टैंडबैक होकर वाहनों एवं उक्त अपार्टमेंट के अन्य पलैटवारियों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि गैरेज/पार्किंग स्पेस को मिलाकर मिठाई, केक बनाने का काम तुरन्त बन्द कर एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के समक्ष रखना सुनिश्चित किया जाय।

12/01/2017
निगरानी पदाधिकारी
पटना नगर निगम।

“ बेहतर हो पहचान अपना,
विजयिता राजधानी सुन्दर पटना”